



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 3, सोमवार, शाके 1937-फरवरी 22, 2016

Phalgun 3, Monday, Saka 1937-February 22, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 22, 2016

जी.एस.आर. 153 :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड,) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 1964 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सीय सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 1964 के नियम 2 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 7(2)संसद/2014]

राज्यपाल के आदेश से,  
दीपक माहेश्वरी,  
प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT  
NOTIFICATION

Jaipur, February 22, 2016

G.S.R. 153 .- In exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1964, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- In sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1964, for the existing expression "Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2008", the expression "Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013", shall be substituted.

[No. F. 7 (2) Sansad/2014]

By Order of the Governor,

Deepak Maheshwari,

Principal Secretary to the Government.

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 22, 2016

जी.एस. आर. 154 :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता नियम,

